(196)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिक कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

रामनारायण मिश्रा तनय स्व0 शोभनाथ मिश्रा उम्र 56 वर्ष पेशा खेती सा0 अमिरिती तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 R5394-II/16 ---आवेदक

बनाम

1- संतोष कुमार मिश्र तनय शिवनारायण मिश्र

2- शिवनारायण मिश्र तनय स्व0 शोभनाथ मिश्र

दोनो निवासी ग्राम अमिरिती तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0

---- गैर निगरानीकर्तागण

आवेदक अभिभाषक श्री राजीव लोचन सिंह द्वारा प्रस्तुत 7.9.16

7.9.16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय,रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 द्वारा प्रकरण कमांक 761/ अपील /2013-14 में स्थगन आवेदन में आदेश दिनांक 12-08-16 के विरूद्ध निरस्तगी वास्ते।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि विद्ववान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संन्दर्भित स्थगन आवेदन पत्र पर बरीकी व तथ्यों पर विचार न कर विधि व प्रकिया के विपरीत पारित होने से आदेश निरस्त योग्य है।

2- यह कि निगराकार व गैर निगराकार कमांक 2 सगे भाई है व कमांक 1 शिवनारायण का पुत्र है निगरानी सुदा भू खण्डों के मूल भूमिस्वामी गया प्रसाद थे उनके चार पुत्र थे जिसमे निगराकार के पिता स्व0 शोभनाथ को आपसी मौखिक बटनवारे में 1/4 हक व हिस्सा प्राप्त था उक्त भू खण्डों में स्व0 शोभनाथ द्वारा अपने जीवन काल में ही निगराकार व गैर निगराकार नं0 2 को 1/3, 1/3 का हक व हिस्सा देते हुये स्वयं 1/3 हिस्सा ले लिया था वाद में पिता अपने प्राप्त हिस्से को निगराकार को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25-10-85 को अकेले

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0—R.5394—II/16 जिला—रीवा

रामनारायण मिश्रा/संताष कुमार मिश्रा

(1)	(2)	(3)
25.05.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	